लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007

(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या :....................................../सम्ब.अनु./2026

दिनांक :. ....

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय–आदेश

सूच्य है कि वित्त समिति एवं कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : आर/3350–3460/सम्ब./2010, दिनांक : 07.05.2011 द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नये/संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के चयन के लिए विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने हेतु रू0–20,000/– (+18 प्रतिशत जी.एस.टी.) प्रति विषय शुल्क निर्धारित किया गया था। वर्तमान में शिक्षकों की चयन समिति विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न करायी जा रही थी जिसके लिए रू0–5,000/– अतिथि गृह का किराया भी लिया जा रहा था। मा0 कुलपति महोदय के निर्देशानुसार अग्रेतर चयन समितियां महाविद्यालय द्वारा आभासी रूप (Online Mode) से सम्पन्न करायी जायेंगी।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि चयन समितियों के आभासी रूप (Online Mode) से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.03.2026 द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नये/संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के चयन के लिए विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने हेतु रू0–25,000/– (+18 प्रतिशत जी.एस.टी.) प्रति विषय शुल्क निर्धारित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार संशोधित दरें दिनांक 27.03.2026 से इस तिथि के उपरान्त सम्पन्न होने वाली चयन समितियों पर भी प्रभावी होंगी। विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : आर/3350–3460/सम्ब./2010, दिनांक : 07.05.2011 द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क यथावत रहेंगे।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव

R/257/2026 28/3/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
3. इंचार्ज, वेबसाईट, ल0वि0वि0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को कालेज लॉगिन से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव